कार्यालय जिला नगर आयुक्त, महेंद्रगढ स्थित नारनौल।

सार्वजनिक सूचना

लाल डोरा / आबादीदेह शहरी क्षेत्र, जिला महेंद्रगढ के संपत्ति प्रमाण पत्र बारे।

इस नोटिस / इश्तिहार के माध्यम से सभी आम व खास को सूचित किया जाता है कि संपत्तिकर सर्वे के दौरान दर्ज प्रविष्टियों व शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पत्र क्रमांक DULB/DMC-HQ-2024/142 दिनांक 12.03.2024 व पत्र क्रमांक DULB/CTP-II/2024/134 दिनांक 11.07.2024 द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिला महेंद्रगढ की सभी परिषद / पालिकाओं क्रमशः नारनौल, महेंद्रगढ, अटेली मण्डी, नांगल चौधरी, कनीना द्वारा लाल डोरे / आबादीदेह में स्थित संपत्तियों का संपत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है जिससे संबधित प्रारंभिक सूचि का प्रकाशन पहले ही किया जा चुका है। जिसकी एक सूचि संबंधित नगर परिषद / पालिकाओं की गृहकर / संपत्तिकर शाखा में व एक सूचि संबंधित नगर परिषद / पालिकाओं के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है किन्तु अब निदेशालय की हिदायतों अनुसार लाल डोरे में स्थित संपत्तियों के संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व **अंतिम सूचि** प्रकाशित की जा रही है। जिसे कोई भी आमजन नगर परिषद / पालिकाओं कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर उपस्थित होकर सूचि का अवलोकन कर सकता है, साथ ही यह सूचि संबंधित परिषद / पालिकाओं की वेबसाइट https://ulbhayana.gov.in/Narnaul/569, https://ulbhayana.gov.in/Mohindergarh/841#myCarousel, https://ulbhayana.gov.in/AteliMandi/2865, http://ulbhayana.gov.in/Nangalchoudhary/844, https://ulbhayana.gov.in/Kanina/842, पर भी उपलब्ध है। जिस किसी आमजन को प्रकाशित सूचि पर किसी प्रकार का एतराज या आपत्ति है तो वह अपने दस्तावेजों सहित प्रकाशन तिथि के 30 दिन के अन्दर–अन्दर अपना एतराज / आपत्ति लिखित में दस्तावेजों सहित संबंधित परिषद / पालिकाओं की गृहकर / संपत्तिकर शाखा में सुनवाई हेतु जमा करवा सकता है। नोटिस की समयावधि समाप्त होने उपरान्त किसी भी एतराज / आपत्ति पर कोई कार्यवाही अमल में नही लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी संपत्ति पर कोई दावा / आपत्ति ना आने की एवज में जारी की गई संपत्ति प्रमाण प्रत्र के संदर्भ में संबंधित परिषद / पालिकाओं की कोई जिम्मेदारी ना होगी।

संपत्ति के स्वामित्व को सिदध करने हेतु शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकुला द्वारा जारी पत्र क्रमांक DULB/DMC-HQ-2024/142 दिनांक 12.03.2024 में दिए गए निर्देशानुसार आपको निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :–

- राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित दावेदार का शपथ पत्र, जिसमें आबादीदेह / लाल डोरा में स्वामित्व / कब्जा का स्पष्ट उल्लेख हो :–

1. पिछले 10 वर्षों का बिजली बिल।
2. पिछले 10 वर्षो का पानी बिल।
3. कोई भी सरकार द्वारा जारी किया गया दस्तावेज जैसे ईपीआईसी, ड्राईविंग लाईसैंस, पासपोर्ट, जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि जिसमें पता शामिल हो।

- अधिकार के पिछले 10 वर्षो का पता लगाने के आवश्यक दस्तावेज

1. पिछले 10 वर्षों के अधिकार का पता लगाने के आवश्यक दस्तावेज।
2. पिछले 10 वर्षों के अधिकार का पता लगाने के लिए निर्मित संरचना का प्रमाण पत्र।

- दावाकर्ता द्वारा प्रदान किए जाने वाले दस्तावेजों की वांछनीय सूचि निम्नलिखित है:–

1. बिक्री विलेख / हस्तांतरण विलेख
2. हस्तांतरण विलेख / त्याग विलेख / मुक्ति विलेख / जमाबंदी फरद।
3. राजस्व अधिकारी के साथ पजीकृत अदालत का आदेश। 4. रजिस्ट्री / बिक्री विलेख।

नोट – मूल मालिक की मृत्यु में उपयुक्त उल्लेखित दस्तावेजों के साथ–साथ सक्षम राजस्व प्राधिकारण / सिविल आदालत से जारी कानूनी / सिविल अदालत से जारी कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जरूरी है।

हस्ता. जिला नगर आयुक्त, महेंद्रगढ स्थित नारनौल।

Scanned with CamScanner